भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 936
जिसका उत्तर शुक्रवार, 03 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

राज्यों में नोटरी की नियुक्ति

936. श्री एस. मुनिस्वामी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में नए नोटरी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने में देरी पाई गई है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों के लिए तीन महीने में नोटरी की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : अधिकतर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, जिनके अंतर्गत कर्नाटक और महाराष्ट्र भी हैं, वर्ष 2019 में नोटेरी की अंतिम नियुक्तियां की गई थी । तत्पश्चात्, कोविड– 19 महामारी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के कारण नोटेरी की और नियुक्तियों की प्रक्रिया नहीं की जा सकी ।

विभाग के कार्यालय ज्ञापन तारीख 28.04.2021 तथा 29.07.2021 द्वारा सभी राज्यों/संघ सभी राज्यक्षेत्रों से नोटेरी की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए नोटेरी की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सितंबर, 2021 मास में आयोजित किए गए थे । सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है ।

******